

पेंशन के लिए आवेदन (प्रपत्र - 1)

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरे) कृप्या जहां लागू हो(✓) का निशान लगाएँ

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन

- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
 बिहार निःशक्तता पेंशन

छः माह के अन्दर
का खिंचा हुआ
रंगीन फोटो
चिपकाएँ

- आवेदक का नाम :
- पिता का नाम :
- पति का नाम :
- माता का नाम :
- लिंग :- पुरुष/महिला/ट्रंसजेंडर :- (जो लागू हो उसे सही का निशान लगाएँ)
- पुरा पता :- ग्राम/मुहल्ला :
 पंचायत/नगर वार्ड : नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत :
 थाना : प्रखंड : अनुमंडल :
 जिला : डाकघर : पिन कोड:-
- कोटि :- अनु0जाति/जनजाति/पिछडी जाति/अति पिछडी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य :
- सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं0 : ई-मेल (यदि हो तो)
- एसईसीसी संख्या/राशन कार्ड संख्या:-
- आधार संख्या (अनिवार्य) : निर्वाचन परिचय पत्र संख्या:-
- आवेदन का पहचान चिन्ह :-
- आधार सीडेड बैंक का विवरण (अनिवार्य):-
 (क) बैंक खाता संख्या : (ख) शाखा कोड :-
 (ग) आई0एफ0एस0सी0 कोड : (घ) शाखा का नाम
- पेंशन अहर्ता संबंधी सूचना
 (क) आयु (यथा आधार कार्ड में अंकित): (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष
 (ग) आय- 1. बी0पी0एल0 का क्रमांक.....प्राप्तांक.....
 2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहान निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं):-
 (घ) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत:-
- मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-
 (i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
 (ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।
 (iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किसी भी पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
 (iv) मैं (नाम) जिला बिहार राज्य का/की निवासी/अधिवासी हूँ।
 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपयुक्त विवरणी सही है। यदि कोई सूचना गलत/झुठा पाया जाए तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल का ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

स्थान :-
 तिथि :

कृ0पृ0उ0.....2/

पेंशन के लिए आवेदन (प्रपत्र - 1)

(आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में भरे) कृप्या जहां लागू हो(✓) का निशान लगाएँ

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन

- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
 बिहार निःशक्तता पेंशन

छः माह के अन्दर
का खिंचा हुआ
रंगीन फोटो
चिपकाएँ

- आवेदक का नाम :
- पिता का नाम :
- पति का नाम :
- माता का नाम :
- लिंग :- पुरुष/महिला/ट्रंसजेंडर :- (जो लागू हो उसे सही का निशान लगाएँ)
- पुरा पता :- ग्राम/मुहल्ला :
 पंचायत/नगर वार्ड : नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत :
 थाना : प्रखंड : अनुमंडल :
 जिला : डाकघर : पिन कोड:-
- कोटि :- अनु0जाति/जनजाति/पिछडी जाति/अति पिछडी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य :
- सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं0 : ई-मेल (यदि हो तो)
- एसईसीसी संख्या/राशन कार्ड संख्या:-
- आधार संख्या (अनिवार्य) : निर्वाचन परिचय पत्र संख्या:-
- आवेदन का पहचान चिन्ह :-
- आधार सीडेड बैंक का विवरण (अनिवार्य):-
 (क) बैंक खाता संख्या : (ख) शाखा कोड :-
 (ग) आई0एफ0एस0सी0 कोड : (घ) शाखा का नाम
- पेंशन अहर्ता संबंधी सूचना
 (क) आयु (यथा आधार कार्ड में अंकित): (ख) निर्वाचन परिचय पत्र के अनुसार जन्म वर्ष
 (ग) आय- 1. बी0पी0एल0 का क्रमांक.....प्राप्तांक.....
 2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहान निःशक्तता पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं):-
 (घ) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत:-
- मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-
 (i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
 (ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।
 (iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किसी भी पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
 (iv) मैं (नाम) जिला बिहार राज्य का/की निवासी/अधिवासी हूँ।
 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपयुक्त विवरणी सही है। यदि कोई सूचना गलत/झुठा पाया जाए तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल का ली जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

स्थान :-
 तिथि :

पंचायत सचिव/पंचायत स्तरीय सक्षम सरकारी कर्मी की अनुशंसा

1. आय/बी०पी०एल० - बी०पी०एल० क्रमांक/आय प्रमाण-पत्र/ लागू नहीं।
2. आय प्रमाण-पत्र - विद्यालय का प्रमाण-पत्र/निर्वाचन परिचय पत्र/अन्य सरकारी अभिलेख/लागू नहीं।
3. विकलांगता - 40 प्रतिशत/80 प्रतिशत/लागू नहीं।
4. आवासीय प्रमाण-पत्र - 3 वर्ष/10वर्ष/लागू नहीं।

(जो लागू हो उसे ✓ से चिह्नित करें)

नाम

(हस्ताक्षर तिथि सहित)

पदनाम

प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैंने आवेदन में अंकित विवरणी जाँच की है और सही पाया है। पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा/स्वीकृति की जाती है।

से पेंशन की अनुशंसा नहीं की जाती है।

आवेदन की प्रविष्टि आनलाईन रॉफ्टवेयर में नहीं की गयी है/ कर दी गई है तथा इसका संदर्भ संख्या दिनांक है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/

स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश

श्री/श्रीमती

को दिनांक से पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर/

अर्हताएँ :-

क्र०	योजना का नाम	आय	आयु	विकलांगता	निवासी/अधिक
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	लागू नहीं	60 या उससे अधिक	---	10 वर्ष
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	अधिकतम 60,000/-- वार्षिक	18 वर्ष से अधिक	---	10 वर्ष
3	बिहार निःशक्तता पेंशन	आय सीमा नहीं	उम्र सीमा नहीं	40% से अन्यून	10 वर्ष
4	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	बी०पी०एल०	60 वर्ष या उससे अधिक	---	3 वर्ष
5	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	बी०पी०एल०	40-79 आयु वर्ग	---	3 वर्ष
6	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	बी०पी०एल०	18-79 आयु वर्ग	80% से अन्यून	3 वर्ष

नोट:- आयु प्रमाण-पत्र के रूप में विद्यालय का प्रमाण-पत्र/निर्वाचन परिचय पत्र या अन्य सरकारी अभिलेख उम्र/जन्म तिथि दर्ज हो, मान्य होंगे। इनके अनुपलब्ध रहने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी उम्र के संबंध में भौतिक सत्यापन मान्य होगा।